

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक - वि. प्रा.(III) य<sup>1</sup>-3/2012-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,  
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय - विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना के मुख्यभवन का जीर्णोद्धार एवं छात्रावास के छत पर ए.पी.पी. कार्य हेतु कुल रू. 53,74,651=00 (तीरपन लाख चौहतर हजार छः सौ एकावन रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8569(भ) अनु, दिनांक 17.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार, अंचल, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-3076 अनु, दिनांक 07.07.2015 द्वारा प्रदत्त प्राककलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना के के मुख्यभवन का जीर्णोद्धार एवं छात्रावास के छत पर ए.पी.पी. कार्य हेतु कुल रू. 53,74,651=00 (तीरपन लाख चौहतर हजार छः सौ एकावन रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)
1	संस्थान के मुख्य भवन का जीर्णोद्धार कार्य	45,76,551=00
2	संस्थान के छात्रावास के छत पर ए.पी.पी. कार्य	7,95,100=00
	कुल	53,74,651=00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजना व्यय आय-व्ययक के "मुख्यशीर्ष- 4059 -लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0117- इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- P 4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना भवन निर्माण विभाग होंगे।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) य<sup>1</sup>-3/2012- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) य<sup>1</sup>-3/2012- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) य<sup>1</sup>-3/2012- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) य<sup>1</sup>-3/2012- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार, अंचल, भवन निर्माण विभाग/ कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल; भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) य<sup>1</sup>-3/2012- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) य<sup>1</sup>-3/2012- 439 /पटना, दिनांक- 9-2-016

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/2/16

3/2/16  
सरकार के अपर सचिव

आप्त सचिव